

महिलाओं के उन्नयन एवं संपूर्ण विकास में शिक्षा की भूमिका

गुड्डू कुमार सिंह

शोधार्थी, स्नात्कोत्तर शिक्षा विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर दरभंगा, बिहार, भारत

सारांश

शिक्षा वह प्रकाश पुंज है जो संपूर्ण समाज को अपने दिव्य प्रकाशपुंज से आलोकित करता है। शिक्षा के बिना जीवन अंधेरा है। समाज और राष्ट्र की पहचान शिक्षा से ही होती है। यों तो शिक्षा का तात्पर्य सीखने से है, किन्तु अब यह सीखने-सिखाने की संकुचित परिधि से निकलकर व्यापक रूप में व्यवहृत हो रही है। भारतीय मनीषियों ने शिक्षा को संस्कार माना है जो अंधविश्वास, कुरीतियों तथा पिछड़ेपन रूपी अंधकार को दूर भगा स्वच्छ और उन्नत समाज का निर्माण करता है। अगर हम देश की भागीदारी अर्थात् महिला शिक्षा के संदर्भ में विमर्श करें तो पाते हैं कि महिलाओं को शिक्षित करना अनिवार्य होना चाहिए।

मूल शब्द: महिलाओं में शिक्षा की भूमिका, संपूर्ण समाज

प्रस्तावना

शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ घर से बाहर निकलकर नौकरी करना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा वह है जो अपनी तथा दुसरो की जिंदगी बेहतर बना सके और इस प्रकार से उपयोग में लाई जाए कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राष्ट्रोत्थान में भागरीदारी हो। यद्यपि नारी ने अपनी पहचान बनाने की भरसक कोशिश की है यद्यपि अस्तित्व रक्षा हेतु उसका संघर्ष जारी है। दोहरी जिंदगी जीती हुई स्त्री स्वयं को उपेक्षित और असहाय पाती है, किन्तु विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सामंजस्य स्थापित करती हुई प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारतीय स्त्रियों के सम्मान और मर्यादा के साथ समकक्षता हेतु भारतीय मनीषियों में राजा राम मोहन राय से महर्षि कर्वे तक के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि "जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।"

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि "यदि जनता में जागृति पैदा करनी है तो महिलाओं में जागृति पैदा करो, एक बार जब वे आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव व शहर आगे बढ़ता है एवं सारा देश आगे बढ़ता है। शिक्षित एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ नारी ही अत्याचार एवं अन्याय का विरोध कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकती है। शिक्षा जैसे सशक्त माध्यम और धारदार हथियार के बल पर सशक्तिकरण के द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकती है।

महिलाओं के उन्नयन एवं संपूर्ण विकास में शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व

अगर हम यह कहें कि आज विश्व के 86 करोड़ अशिक्षितों में दो-तिहाई महिलाएँ हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक कड़वी सच्चाई है कि आज के दशक में भी महिलाओं की अशिक्षा और उन्हें पुरुषों से कमतर आँकने की प्रवृत्ति का पूर्णतः अंत नहीं हो पाया है।

किसी भी समाज की वास्तविक स्थिति जानने का एक तरीका यह भी है कि हम यह जानें कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है? उनको क्या-क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं और उनकी शैक्षिक दशा क्या है? आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली जनसंख्या की मूलभूत संसधानों तक कितनी पहुँच है और राजनितिक या सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? वास्तव में महिलाओं की स्थिति विकास का एक प्रकार का संकेत भी है। ग्रामीण से लेकर शहरी स्तर तक और राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं की स्थिति सुधारने के तमाम प्रयास किए गए हैं, उनके सशक्तिकरण की कोशिशें कामयाब भी हुई हैं। फिर भी लिंग-विभेद को समाप्त करने और लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए संघर्षपूर्ण विश्व को लम्बी यात्रा तय करनी है ताकि विकास की बुंदे महिलाओं तक और अधिक मात्रा में पहुँच सकें।

सूचना और संचार क्रांति के इस दौर में शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है महिलाएँ इस समाज का आधा हिस्सा हैं। उनकी शिक्षा और विकास से ही समाज सभ्य और समृद्ध हो सकता है। कहते हैं कि यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाए तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित किया जाए तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। इस प्रकार एक महिला के शिक्षित होने से उसके पूरे परिवार की शिक्षा और कल्याण जुड़ा है। यदि परिवार में महिला शिक्षित होती है तो पुरुष उससे प्रभावित होगा ही और स्वभाविक है कि इससे बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होंगे। चूँकि बच्चे किसी भी राष्ट्र के भावी जीवन की आधारशिला होते हैं इसलिए यदि कोई राष्ट्र महिला शिक्षा हेतु जागरूक है तो वह बच्चों के भावी जीवन को सुधार रहा है।

शिक्षा मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य होने के साथ-साथ वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का एक उपयोगी साधन भी है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व व बुद्धि का विकास कर उसे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों को सम्पन्न करने के योग्य

बनाती है। शिक्षा को एक ऐसे उपकरण के रूप में भी मान्यता दी गई है, जिसकी सहायता से समाज में परिवर्तन व विकास के लिए अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में शिक्षा को प्रत्येक मनुष्य के मूल अधिकारों में से एक माना गया है।

जहाँ तक महिला शिक्षा का प्रश्न है, स्पष्ट देखा जा सकता है कि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना शेष है। परन्तु यह भी सच है कि स्त्री शिक्षा की आवश्यकता और उपयोगिता के प्रति मानव समाज में जागरूकता बढ़ी है। विश्वभर में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए किये गए आन्दोलनों में उनकी निम्न स्थिति को बदलने के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज-सुधारकों का भी ऐसा ही मत था। परन्तु प्रारंभिक काल में महिला शिक्षा का उपयोग महिला को एक पत्नी और माता के परम्परागत कर्तव्यों के और अधिक कुशलतापूर्वक निर्वाह करने के योग्य बनाना था न कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास प्रक्रिया में उनकी अधिक दक्ष और कुशल भागीदारी हेतु उन्हें सक्षम करना था। धीरे-धीरे स्थिति में परिवर्तन आया तथा विशेष रूप से स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्री शिक्षा के महत्व को उसके विविध और विस्तृत आयामों के संदर्भ में शामिल किया गया है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण के अर्धपूर्ण प्रयासों को सुनिश्चित किया जाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज यह प्रमाणित सत्य है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्री शिक्षा के अनेक कार्यक्रम चलाये गए जैसे कि राष्ट्रीय साक्षर मिशन, महिला समाख्या योजना, जीवन हेतु महिलाओं का एकीकृत अध्ययन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा योजना, नवोदय एवं केन्द्रीय विद्यालयों में लड़कियों के लिए बारहवीं तक निःशुल्क शिक्षा इत्यादि। इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ चलाई गईं जैसे स्कूल में दोपहर का भोजन देना, निःशुल्क पोशाक एवं पुस्तकें वितरित करना, विद्यालय में अधिक उपस्थिति पर कन्याओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना जिससे कि विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त संपूर्ण साक्षरता मिशन में मिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। विभिन्न राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा एवं महिला साक्षरता जैसे अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को साक्षर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को स्वयं की ताकत के बारे में जागृत किया जाए जिससे वे सामाजिक विकास की प्रवर्तक बन सकें। महिलाएँ जब तक अपनी शक्ति, क्षमता व आत्मविश्वास को जागृत नहीं करेंगी तब तक बाह्य कारक उन्हें सशक्त नहीं बना सकते हैं। परिवार की अधूरी नारी को जागरूक बनाकर समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। सशक्त समाज से ही देश मजबूत होता है। पिछले 16-17 वर्षों से भारत में महिला सशक्तिकरण का नया दौर शुरू हुआ है। यह सशक्तिकरण जमीनी स्तर पर शुरू हुआ है। इसका सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव तभी दिखई देगा जब महिलाएँ अपने आप को सशक्त भूमिका में प्रस्तुत करेंगी। सशक्तिकरण बाहर से थोपा नहीं जा सकता वह तो स्वयं अंदर से उत्पन्न होना चाहिए।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर महिला के उत्थान, उन्नयन एवं पूर्ण विकास में शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—

1. स्त्रियों को जागरूक बनाना: स्त्रियों को शिक्षित करके ही उन्हें जागरूक बनाया जा सकता है और संविधान क्षरा प्ररत अधिकार, कर्तव्यों तथा सरकारी शिक्षा नीतियों से परिचित कराया जा सकता है। स्त्रियों में जागरूकता के प्रयास विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक हैं—

(क) परिवार के क्षेत्र में: यदि स्त्रियाँ शिक्षित होंगी तो परिवार का वतावरण खुशहाल हो सकता है। शिक्षित स्त्रियाँ परिवार में अपनी भूमिका को भली-भाँति समझ पाएँगी तथा बच्चों का पालन-पोषण एवं उनकी शिक्षा व्यवस्था के प्रति सचेत बनी रहेगी। शिक्षित माता शिक्षा के महत्व को समझाती है और सभ्यता और संस्कारों की कुशल संवाहिका होती है। वह न केवल बच्चों की शिक्षा अपितु उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता और उनके क्रमिक विकास में स्वास्थ्य योगदान की आवश्यकता कि जिम्मेदारी वहन रनें में सफल होगी। साथ ही, स्वस्थ मानसिक प्रवृत्ति के तहत पुत्र एवं पुत्री में भेद नहीं करेगी।

(ख) समाज के क्षेत्र में: स्त्री का शिक्षित होना समाज को बन्द समाज की जगह खुले समाज के रूप में प्रतिष्ठित करता है। समाज प्रचलित विकास को अवरुद्ध करने वाली मान्यताओं एवं रूढ़ियों की समाप्ति के लिए जागरूकता अपेक्षित है। तभी वह दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा एवं अन्य सामाजिक कुरितियों का विरोध कर समाज को विकास की नई दिशा देने में कामयाब हो पाएगी और एक समानता पर आधारित स्वस्थ समाज का सपना सकार हो पाएगा।

(ग) आर्थिक क्षेत्र में: आर्थिक क्षेत्र में प्रगति या आर्थिक आत्मनिर्भरता न केवल स्त्रियों के सामाजिक स्तर को उन्नत बनाने में सहायक है अपितु राष्ट्र के विकास हेतु भी आवश्यक है। तभी महिलाएँ अपने आर्थिक अधिकारों को समझ पायेंगी और विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगी तथा ग्रामीण एवं निम्न वर्ग की महिलाएँ अपनी दैनिक मजदूरी की उचित कीमत पाने में समर्थ हो पायेंगी। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में दायम दर्जे का विरोध कर अपने अधिकारों हेतु आवाज बुलंद कर शोषमुक्ति का आगाज पायेंगी।

(घ) राजनीतिक क्षेत्र में: महिलाएँ राजनीति के क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा देश के नेतृत्व में भागीदारी का स्वप्न आकार पर पायेंगी तथा विभिन्न प्रतिष्ठित राजनैतिक पदों पर बराबर की हिस्सेदारी प्राप्त कर भारत को विश्व के मानचित्र पर सशक्त देश के रूप में स्थापित करने की जिम्मेदारी उठाने में समर्थ व सफल हो पायेंगी। इस प्रकार न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना स्त्री अधिकारिता की परिपुष्टि कर नेतृत्व की कुशल योग्यता हासिल कर पायेंगी।

2. निर्णय लेने की क्षमता हेतु: बालिकाओं के संपूर्ण विकास एवं उन्नयन में शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व उसकी निर्णय क्षमता के विकास हेतु आवश्यक है, विशेषकर महत्पूर्ण और त्वरित निर्णय क्षमता का विकास शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है जहाँ परिवार में महत्पूर्ण निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिए जाते हैं। स्त्रियों

यदि सुशिक्षित होंगी तो वे निर्णय प्रक्रिया में निश्चित रूप से भागीदार होंगी। स्वतंत्र निर्णय के साथ-साथ वे पुरुषों द्वारा अनुचित रूप से लिए गए, निर्णयों का विरोध कर पायेंगी।

3. **आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान हेतु:** स्त्रियों के लिए शिक्षा का महत्व उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने हेतु आवश्यक है। यदि उसका आत्मसम्मान बढ़ा हुआ है तो वह सशक्त और समर्थ है। वह असहाय या आश्रिता नहीं है। एक समय था जब स्त्रियों को स्त्रीधन देकर पैतृक सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जाता था और एक स्त्री ससुराल और पति की जिम्मेदारी बनकर रह जाती थी। उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सब अंधकार के गर्त में समाए थे। शिक्षा द्वारा स्त्रियों का खोया आत्मसम्मान वापस कर उन्हें भी इंसान की श्रेणी में रखकर उनमें आत्मविश्वास सृजित किया जा सकता है। आज इसी आत्मविश्वास के कारण मुद्रा बाजार में महिला की पहचान बनी है और उसके पति की नजरों में उसका मूल्य बढ़ गया है। वह काम कर सकती है, व्यवसाय में उल्लेखनीय स्थान बना सकती है और अपनी प्रतिभा से ख्याति प्राप्त कर सकती है। यदि वह घर पर रहना चुनौती है तो वह अपने बच्चों का प्रभावशाली ढंग से पथ-प्रदर्शन कर सकती है और अपने परिवार की विभिन्न प्रकार से सहायता करने में और सक्षम हो सकती है।
4. **नेतृत्व के लिए शिक्षा:** महिलाओं में नेतृत्व पैदा करने के लिए आवश्यक है कि वह जिस क्षेत्र में जुडी हैं, उसकी तकनीकी, आर्थिक, भौगोलिक, राजनैतिक एवं सामाजिक पहलुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। चूंकि यह जानकारी शिक्षा के बिना असंभव है, अतः आवश्यकता है कि स्त्रियों को नेतृत्व के लिए शिक्षित बनाया जाय जिससे महिलाओं में शैक्षिक सशक्तिकरण को गति प्रदान की जा सकती है। नेताओं के एक नये वर्ग के रूप में महिलाएँ समाज में परिवर्तनकारी भूमिका बखूबी निभा सकती हैं, बशर्ते वे प्रशासक, व्यवसायिक प्रबंधन, नूतन प्रौद्योगिकी से अवगत हों जो शिक्षा द्वारा ही संभव है।
5. **महिलाओं की मानसिकता एवं प्रवृत्ति में परिवर्तन हेतु:** महिलाओं के शिक्षित होने से समाज का कायाकल्प हो सकता है। एक स्वस्थ और सबल समाज की स्थापना संभव है। अशिक्षा के कारण स्त्रियों की मानसिकता संकुचित और संकीर्ण होती है और वे अंधविश्वासों एवं समाज के अव्यावहारिक रीति-रिवाजों तथा कुप्रथाओं के जाल में फंसी रहती हैं, जिसका प्रभाव उनकी संतति पर भी पड़ता है, जो कि समाज और देश के हित में नहीं है। इसके साथ ही समाज में अन्य कुसृष्टियों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, डायन का आरोप, छुआछूत, बाल-विवाह, दहेज प्रथा आदि की समाप्ति हेतु स्त्रियों की मानसिकता एवं प्रवृत्ति में परिवर्तन की आवश्यकता है जो कि शिक्षा के द्वारा ही संभव है। स्त्रियों की स्वास्थ्य मानसिकता उन्हें परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील बनाएगी और वे अपनी रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप कार्य करके अपने सामाजिक स्तर को उँचा उठाने के लिए प्रयास करेगी। अतः अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने एवं उनके उत्थान के लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है।
6. **स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हेतु:** स्त्री शिक्षा की महती आवश्यकता उन्हे स्वयं, परिवार एवं बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हेतु स्पष्टतः परिलक्षित है। रूढ़िगत परम्पराओं में जकडी हुई स्त्रियाँ आज भी अपने खान-पान और रहन-सहन के स्तर को उँचा उठाने के निमित्त जागरूक नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी दयनीय है। वे अपने पैतृक व्यावसाय के तौर तरीके बदलना नहीं चाहती। उन्हे पर्याप्त मात्रा में भोजन और वस्त्र भी उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी स्थिति में पोषक तत्वों के अभाव में वे प्रायः रथहीनता और कुपोषण जनित बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण आज भी मातृ-मृत्युदर 677 प्रति लाख है जो आज के सभ्य समाज पर एक कलंक है। प्रायः अशिक्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्र के निवासी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो पाते और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। साथ ही टोन-टोटके की श्रण लेने की प्रथाओं के कारण स्वास्थ्य से संबंधित अनेक परेशानियों बनी रहती हैं। महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, बच्चों के जन्म देने उनकी देख-रेख करने, बच्चों के टीकाकरण, बालिका शिशु की समुचित देखभाल और विशेष पोषक तत्व युक्त भोजन की आवश्यकता को समझने के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है।
7. **समानता हेतु शिक्षा की आवश्यकता:** जब हम अपने अतीत पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में गार्गी, मैत्रेयी जैसी प्रसिद्ध महिला-दर्शनिक थीं, जो पुरुषों के स्तर पर ही भाषण-प्रवचन तथा बहस-मुबहिशां में हिस्सा लिया करती थीं। हमारे स्वाधीनता आंदोलनो में भी महिलाओं का योगदान पुरुषों से कम नहीं था। स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ने के महतमा गांधी के अहवाहन पर ऐसे समय में महिलाओं ने उसमें हिस्सा लिया जब सिर्फ 2 प्रतिशत महिलाएँ ही शिक्षित थीं। एक राष्ट्र के रूप में हमारी पूरी क्षमता का उपयोग तभी हो सकेगा जब महिलाएँ जो हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। जब तक ऐसा नहीं होगा, प्रतिभा का आधा हिस्सा, प्रगति का आधा भाग बर्बाद होता रहेगा। जिस तरह एक रथ के आगे बढ़ने के लिए उसके दोना पहियों के आगे चलने की जरूरत होती है, उसी तरह पुरुषों और महिलाओं को संयुक्त रूप से मजबूत होने और आगे बढ़ने की जरूरत होती है। शिक्षा की सशक्त भागीदारी के बिना समानता की कल्पना नहीं की जा सकती। जब स्त्रियाँ शिक्षित होंगी तभी समानता की आवश्यकता को समझ पायेंगी और राष्ट्र निर्माण में उनकी सशक्त भूमिका का निर्वाहन संभव हो सकेगा।
8. **व्यवसायिक क्षमता के विकास हेतु:** किसी भी देश में परिवर्तन या क्रांति में शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वैश्वीकरण के इस दौर में व्यवसायिक शिक्षा व्यवसाय की समझ और व्यवसायिक जागरूकता हेतु आवश्यक है। इस दृष्टि से महिलाओं को सशक्त बनाना वर्तमान समय की आवश्यकता बन गई है। परिवार में अधिक श्रम महिलाओं को ही करना पड़ता है। परन्तु उनका श्रम पूर्णतः अवैतनिक रहता है। सुबह से रात तक घर और खेती के कार्यों में जूझती महिलाओं के श्रम का अधिकांश फल पूरे परिवार को मिलता है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के

श्रम का उचित मूल्यांकन हो ताकि उनके श्रम का सही प्रतिफल उन्हें मिल सके। इसके लिए उन्हें शिक्षित-प्रशिक्षित तो होना ही पड़ेगा। यदि वे शिक्षित होंगी तो वे इसकी महता समझ पायेंगी और श्रम को व्यवसायिक स्तर पर प्रतिष्ठापित कर पायेंगी। उदाहरण के लिए सिलाई, बुनाई, कटाई, बागवानी, ब्यूटिशियन, अचार, पापड़ आदि बनाने के कला को व्यवसाय का रूप देकर लघु एवं कुटिर उद्योगों के द्वारा न केवल अपनी कला या हुनर को विश्वफलक पर स्थापित कर पायेंगी अपितु परिवार के आर्थिक सुदृढीकरण की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकेंगी।

9. **अंततः** स्त्रियों की उन्नयन उत्थान तथा संपूर्ण विकास में शिक्षा को सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता है। बालिकाओं के संदर्भ में शिक्षा की आवश्यकता सीमाहीन है। सही कारण है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में विकास हेतु प्रयासों के सिलसिला प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही शुरू हो गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यक्रमों व नीतियों के माध्यम से महिलाओं के उत्थान और शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही, हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त विभिन्न अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को सैद्धांतिक और मात्र कागजी कार्यवाही तक सीमित न करके इसे व्यवहारिक और अमली जमा पहनाने प्रयास किये जा रहे हैं जो महिला शिक्षा की आवश्यकता का स्वतः ही स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त हैं। इस प्रकार महिला साक्षरता और महिला शिक्षा न केवल विशिष्ट वर्ग का द्योतक है अपितु संपूर्ण राष्ट्र के विकास का दर्पण है जिस पर अशिक्षा की एक रेखा भी इसके लक्ष्य को धूमिल करने हेतु पर्याप्त है।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा से ही महिला का संपूर्ण विकास किया जा सकता है। शिक्षा ही एक मात्र साधन है जो बालिकाओं के संपूर्ण उत्थान एवं उन्नयन कर सकता है। शिक्षा स्वाभिमान की भावना जगाती है और कार्य क्षेत्र की सीमा का विस्तार करती है। महिलाओं की शिक्षा अधिकारिकता विकास एवं गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ही बालिकाओं में जागरूकता निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, नेतृत्व क्षमता, आत्म निर्भरता, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक स्त्रीकरण, मूल्यों की वृद्धि, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, व्यवसायिक क्षमता एवं लैंगिक समामानता इत्यादि सामाजिक जागरूकता ला सकती है।

सुझाव

असमानता वाली स्थिति से मनुष्य को विकास की वर्तमान स्थिति तक लाने वाली शिक्षा ही है। जैसे की मर्तृहरि ने लिखा है। विद्या विहीनः पुशुः। ज्ञान चैतन्य का धर्म है। इसलिए किसी न किसी मात्र में यह प्राणितान्त्र को सुलभ है। पशु-पक्षी इत्यादि जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह शिक्षा के अभाव में उनकी भावी पीढ़ियों को संक्रान्त हो पाता। परिणाम रूपरूप वह अर्जन करने वाले के साथ ही नष्ट हो जाता है। आगामी पीढ़ि में संक्रान्त कर देता है। परिणाम रूपरूप वह ज्ञान संचित तो होता ही है तथा उत्तरोत्तर वृद्धि को भी प्राप्त करता है।

संदर्भ सूची

1. देवपुरा प्रतापभल, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व कुरुक्षेत्र अंक 5 मार्च 2006
2. मकोल नीलम भार्मा संदीप, सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं को योगदान, कुरुक्षेत्र सितम्बर 2006
3. लवानिया, एम.एम. (1989) "समाज भास्त्रीय अनुसंधान का तर्क एवं विधियों" रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
4. अंसारी, एम.ए. (2001), "महिला और मानवाधिकार" ज्योति प्रकाशन, जयपुर।
5. मिश्रा के.के. (1965), "विकास का समाजशास्त्र" वैशाली प्रकाशन, गोरखपुर।
6. श्रीवास्तव, सुधा रानी (1999), "भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति" कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स नई दिल्ली।
7. जैन प्रतिभा (1998), "भारतीय स्त्री : सांस्कृतिक सन्दर्भ" रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
8. तिवारी, आर.पी. (1999), "भारतीय नारी : वर्तमान समस्याएँ एवं समाधान, नई दिल्ली।
9. बघेला, डॉ० हेत सिंह (1999), "शिक्षा मनोविज्ञान", विनोद पुस्तक मंदि, आगरा।
10. कानिटकर मुकुल भारत में महिला शिक्षा, समाज व सरकार की भूमिका, योजना सितम्बर 2016।
11. व्यास डॉ० मिनाक्षी, नारी चेतना और सामाजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशन, कानपुर 2008।
12. पाठक सुमेधा (2008) "स्त्री शिक्षा" अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा